

राजस्थान सरकार
कारखाना एवं बाँयलर्स निरीक्षण विभाग

No. F.4(15)legal/F&B/2020/ 197

Dated - 17-04-2020

आदेश

विषय: गृह मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश क्रमांक 40-3 / 2020-DM-I (A) दिनांक 15.04.2020 द्वारा घोषित लॉकडाउन का क्रियान्वयन

गृह मंत्रालय, भारत सरकार ने क्रमांक 40-3 / 2020-DM-I (A) दिनांक 15.04.2020 को लॉकडाउन के दौरान बंद व छूट (दिनांक 20 अप्रैल, 2020 से phased manner में) के क्रियान्वयन के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं। तदनुसार, भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के पैरा संख्या 1 (vii) और 15 (i से xi) के क्रियान्वयन को राजस्थान राज्य में सुनिश्चित करने के लिए निम्नानुसार निर्देशित किया जाता है-

बंद और छूट

1 (vii). सभी औद्योगिक और वाणिज्यिक गतिविधियाँ बंद रहेंगी।

छूट:-

निम्नलिखित उद्योगों / औद्योगिक प्रतिष्ठानों (सरकारी और निजी दोनों) को संचालित करने की अनुमति दी जाएगी-

- I. ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने वाले उद्योग अर्थात् नगर निगमों और नगर पालिकाओं की सीमा के बाहर।
- II. विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसईजेड) और निर्यात उन्मुख इकाइयों (ईओयू), औद्योगिक क्षेत्रों और औद्योगिक टाउनशिप में पहुंच नियंत्रण (access control) के साथ विनिर्माण और अन्य औद्योगिक प्रतिष्ठान। ये प्रतिष्ठान अपने परिसर के भीतर श्रमिकों के ठहरने की व्यवस्था यथासंभव और / या आस-पास की इमारतों और मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के कार्यान्वयन के लिए Annexure II के अनुसार करेंगे। श्रमिकों के कार्यस्थल पर परिवहन सामाजिक दूरी (social distancing) को सुनिश्चित कर, समर्पित परिवहन में नियोक्ताओं द्वारा व्यवस्थित किया जाएगा।
- III. दवाओं, फार्मास्यूटिकल्स, चिकित्सा उपकरणों, उनके कच्चे माल और मध्यवर्ती सहित आवश्यक वस्तुओं की विनिर्माण इकाइयों।
- IV. ग्रामीण क्षेत्रों अर्थात् नगर निगमों और नगर पालिकाओं की सीमा के बाहर फूड प्रोसेसिंग उद्योग।

- V. उत्पादन इकाइयाँ, जिन्हें निरंतर प्रक्रिया (continuous process) की आवश्यकता होती है, एवं उनकी आपूर्ति श्रृंखला (supply chain)।
- VI. आईटी हार्डवेयर का विनिर्माण।
- VII. कोयला उत्पादन, खान और खनिज उत्पादन, उनका परिवहन, खनन कार्य के लिए विस्फोटकों की आपूर्ति एवं खनन से संबंधित कार्य।
- VIII. पैकेजिंग सामग्री की विनिर्माण इकाइयाँ।
- IX. अंतरीकरण पारियों (staggered shifts) और सामाजिक दूरी (social distancing) के साथ जूट उद्योग।
- X. तेल और गैस एक्सप्लोरेशन (exploration)/ रिफाइनरी।
- XI. ग्रामीण क्षेत्रों में ईट भट्टे अर्थात् अगर नगर निगम और नगर पालिकाएं सीमा से बाहर हैं।

उपरोक्त इकाइयाँ annexure-I के अनुसार COVID-19 प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय निर्देश का तथा सामाजिक-दूरी (social distancing) के लिए annexure-II में दी गयी मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) का सख्ती से पालन करेगी।

लॉकडाउन के उपायों के उल्लंघन आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60 और भारतीय दण्ड संहिता, 1860 में और धारा 188 के तहत दंडनीय हैं।



(डॉ० नीरज कुमार पवन)
सचिव श्रम, रोजगार, कौशल और
उद्यमिता, कारखाना एवं बॉयलर्स निरीक्षण
राजस्थान, जयपुर

No. F.4(15)legal/F&B/2020/ 198-206

Dated 17.04.2020

निम्नलिखित को जानकारी और आवश्यक कार्रवाई के लिए प्रतिलिपि:-

1. उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय राज्य श्रम मंत्री, राजस्थान सरकार।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, श्रम एवं नियोजन, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, उद्योग विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
5. निजी सहायक, श्रम आयुक्त, राजस्थान सरकार, जयपुर।
6. अतिरिक्त श्रम आयुक्त, राजस्थान सरकार, जयपुर।
7. सभी क्षेत्रीय अधिकारी और प्रोग्रामर, कारखाना एवं बॉयलर्स निरीक्षण विभाग।

3-17-2020
मुख्य निरीक्षक कारखाना एवं बॉयलर्स
राजस्थान, जयपुर।

COVID-19 प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय निर्देश

आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में निर्धारित जुर्माना और दंड कार्रवाई के माध्यम से राष्ट्रीय निर्देशों को जिला मजिस्ट्रेट द्वारा लागू किया जाएगा।

सार्वजनिक स्थल

1. सभी सार्वजनिक स्थानों, कार्य स्थानों पर फेस कवर पहनना अनिवार्य है।
2. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार सार्वजनिक स्थानों, कार्य स्थानों और परिवहन के प्रभारी सभी व्यक्ति सामाजिक गड़बड़ी को सुनिश्चित करेंगे।
3. कोई भी संगठन / सार्वजनिक स्थान का प्रबंधक 5 या अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने की अनुमति नहीं देगा।
4. विवाह और अंत्येष्टि जैसे कार्यक्रम जिला मजिस्ट्रेट द्वारा विनियमित किए जाएंगे।
5. सार्वजनिक स्थानों पर थूकना दंडनीय होगा।
6. शराब, गुटखा, तम्बाकू आदि की बिक्री पर सख्त प्रतिबंध होना चाहिए और थूकना सख्त वर्जित होना चाहिए।

कार्यस्थल

7. सभी कार्य स्थानों में तापमान जांच के लिए पर्याप्त व्यवस्था होगी और सुविधाजनक स्थानों पर सैनिटाइज़र प्रदान किया जाएगा।
8. कार्य स्थानों में बदलाव के बीच एक घंटे का अंतर होगा और सामाजिक गड़बड़ी को सुनिश्चित करने के लिए कर्मचारियों के दोपहर के भोजन के ब्रेक को रोक देगा।
9. 65 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्तियों और 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों के सह-रूपता वाले माता-पिता और व्यक्तियों को घर पर काम करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है।
10. निजी और सार्वजनिक दोनों तरह के कर्मचारियों के लिए आरोग्य सेतु के उपयोग को प्रोत्साहित किया जाएगा।
11. सभी संगठन शिफ्टों के बीच अपने कार्य स्थानों को पवित्र करेंगे।
12. बड़ी बैठकें निषिद्ध हैं।

विनिर्माण संस्थान

13. सामान्य सतहों की बार-बार सफाई और अनिवार्य रूप से हाथ धोना अनिवार्य होगा।
14. कैंटीन में सामाजिक दूरी (social distancing) के साथ शिफ्ट्स और अंतरित लंच (staggered lunch) का कोई ओवरलैप नहीं होना सुनिश्चित किया जाएगा।
15. अच्छी स्वच्छता प्रथाओं पर गहन संचार और प्रशिक्षण दिया जाएगा।

कार्यालयों, कार्यस्थल, कारखानों और प्रतिष्ठानों के लिए सामाजिक दूरी (Social Distancing) के लिए मानक संचालन प्रक्रिया

सभी कार्यालयों, कार्यस्थल, कारखानों और अन्य प्रतिष्ठानों द्वारा निम्नलिखित उपायों को लागू किया जाएगा:

1. परिसर सहित इसके सभी क्षेत्रों को उपयोगकर्ता के अनुकूल (user friendly) कीटाणुनाशक माध्यमों के उपयोग से पूरी तरह से कीटाणुरहित किया जाएगा:
 - a. भवन, कार्यालय आदि का प्रवेश द्वार।
 - b. कैफेटेरिया और कैंटीन।
 - c. बैठक कक्ष, सम्मेलन हॉल / खुले क्षेत्र उपलब्ध / बरामदा / प्रवेश द्वार स्थल, बंकर, पोर्टा केबिन (porta cabins), भवन आदि।
 - d. उपकरण और लिफ्ट।
 - e. वॉशरूम, टॉयलेट, सिंक; पानी के बिंदु आदि।
 - f. दीवारें / अन्य सभी सतहें
2. बाहर से आने वाले श्रमिकों के लिए, सार्वजनिक परिवहन प्रणाली पर बिना किसी निर्भरता के विशेष परिवहन सुविधा की व्यवस्था की जाएगी। इन वाहनों को केवल 30-40% यात्री क्षमता के साथ काम करने की अनुमति दी जानी चाहिए।
3. परिसर में प्रवेश करने वाले सभी वाहनों और मशीनरी को अनिवार्य रूप से स्प्रे द्वारा कीटाणुरहित किया जाना चाहिए।
4. कार्य स्थल पर प्रवेश करने और बाहर निकलने वाले व्यक्तियों की अनिवार्य थर्मल स्कैनिंग।
5. श्रमिकों के लिए चिकित्सा बीमा अनिवार्य किया जाए।
6. टच फ्री मैकेनिज्म के साथ अधिमानतः हाथ धोने और सेनिटाइजर का प्रावधान सभी प्रवेश और निकास बिंदुओं और सामान्य क्षेत्रों में किया जाएगा। ये सभी वस्तुओं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना चाहिए।
7. कार्य स्थानों में बदलाव के बीच एक घंटे का अंतर होगा और सामाजिक दूरी (social distancing) को सुनिश्चित करने के लिए कर्मचारियों के दोपहर के भोजन अवकाश में अन्तर रखा जायेगा।
8. 10 या अधिक लोगों की बड़ी बैठकों को हतोत्साहित करना। कार्यस्थल और सभाओं, बैठकों और प्रशिक्षण सत्रों में एक व्यक्ति दूसरे से कम से कम 6 फीट की दूरी पर बैठे।
9. 2/4 से अधिक व्यक्तियों (आकार के आधार पर) को लिफ्टों या हॉइस्ट (lifts or hoists) में यात्रा करने की अनुमति नहीं होगी।
10. चढ़ाई के लिए सीढ़ी के उपयोग को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
11. गुटखा, तंबाकू आदि पर सख्त पाबंदी होनी चाहिए और थूकना पूरी तरह से प्रतिबंधित होना चाहिए।
12. साइटों पर गैर-आवश्यक आगंतुकों पर पूरी तरह से प्रतिबंध होना चाहिए।
13. आसपास के क्षेत्रों में अस्पताल / क्लीनिक, जो COVID-19 रोगियों के इलाज के लिए अधिकृत हैं, की पहचान की जानी चाहिए और सूची हर समय कार्य स्थल पर उपलब्ध होनी चाहिए।